प्रकरण संख्या 3/2024 कालू बनाम प्रकाश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे नंबर 310/16 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम बोरखाबर, तहसील आंबापुरा में स्थित है, जिस पर वादी का कब्जा अपने बाप-दादाओं के समय से चला आ रहा है तथा वादी से पूर्व उसके पिता करमा काश्त करते थे। उक्त आराजी पर वादी का मकान बना होकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा खसरा गिरदावरी में खातेदार के कॉलम में वादी के पिता का नाम दर्ज है, परन्तु संवत् 2026 के बाद वादी के पिता का नाम बिना किसी आधार के राजस्व अभिलेखों से हटा दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीश का नाम बाले-बाले दर्ज करवा दिया एवं हरीश के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया, जो गैर कानूनी होकर गलत है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 की प्रविष्टि को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.11.2022 को वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज कर दिया, जिस पर वादी द्वारा आदेश 9 नियम 4, 5 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं होना मानते हुए दिनांक 25.07.2023 को खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.03.2024 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी को सुने बिना एकपक्षीय निर्णय पारित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:42 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.02.2024 को निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु नियत था तथा प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित हो चुके थे। परन्तु दिनांक 23.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु तलवाना व रसीद एवं डिलेवरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र वाद के प्रत्यावर्तन करने एवं तामील प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने हेतु आदेश 9 नियम 4, 5 सी.पी.सी सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया तथा कानूनी प्रावधानों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय को आवेदन प्राप्त होने पर तामील के लिए समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था तथा वाद को प्रत्यावर्तित किया जा सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश पारित कर उक्त आवेदन पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो निरस्त योग्य है। उक्त प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के सम्मन माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 तामील से हमेशा बचता रहा, जिसके पश्चात् रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये। वादी/अपीलान्ट द्वारा तामील के लिए सर्वोत्तम प्रयास किये गये हैं, जिस कारण वादी/अपीलान्ट को न्यायहित में एक अवसर दिया जाना आवश्यक था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को युक्ति युक्त अवसर नहीं देकर न्याय से वंचित कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय [illegible]करण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:42 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के सम्मन साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से तामील कराये गये, किन्तु तामील नहीं हो पायी, जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा तामिल हेतु पूर्ण प्रयास किये गये हैं इसलिए मात्र तामिल के आधार पर वाद खारिज किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2022 को खारिज कर दिये जाने पर अपीलान्ट/वादी द्वारा आदेश 9 नियम 4, 5 सी.पी.सी. के तहत एक अवसर और चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट/वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बिना किसी आदेश के जमाबन्दी में दर्ज होने का कथन किया है, जिसका निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 5/2023 में पारित निर्णय एवं डिक्री 25.07.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/वादी को न्यायहित में सम्मन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

31.12.24

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.09 12:27:42 IST
Reason: SelfAttested